



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042025-262640  
CG-DL-E-23042025-262640

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 23, 2025/वैशाख 3, 1947

No. 216]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 23, 2025/VAISAKHA 3, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2025

**सा.का.नि. 255(अ).**—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2025 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में, अनुसूची-I में, स्पष्टीकरण में, खंड (1) में, "यदि आवेदक भारत में निगमित" शब्दों से आरंभ होने वाले और "विचार में लिया जा सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "यदि आवेदक अनुषंगी कंपनी है, तो ऐसी अनुषंगी कंपनी की धृति कंपनी के शुद्ध मूल्य पर भी विचार किया जा सकेगा और धृति कंपनी भारत में या भारत के बाहर निगमित हो सकती है" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एम. VI-1/2/2025-खान VI]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

**टिप्पण.-** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 406(अ) तारीख 20 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से सा.का.नि. 49(अ) तारीख 21 जनवरी, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF MINES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd April, 2025

**G.S.R. 255(E).**— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015, in Schedule I, in the *Explanation, in clause (1), for the portion beginning with the words “an applicant is a subsidiary”* and ending with the words “company may also be considered”, the words “an applicant is a subsidiary company, the net worth of the holding company of such subsidiary company may also be considered and the holding company may be incorporated in India or outside India” shall be substituted.

[F. No. M.VI-1/2/2025-Mines VI]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.

**Note.**— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 406(E), dated the 20th May, 2015 and lastly amended, *vide* number G.S.R. 49(E), dated the 21<sup>st</sup> January, 2024.